**न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर**

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

**प्रकरण संख्या 92/2017 (उदयपुर डिकी)**

शिवसिंह पिता नगजी रेबारी, निवासी ओटों का गुडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. ऊंकार पिता प्रभूलाल जी रेबारी, निवासी पीपपी की ढाणी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. गिरवर पिता प्रभु जी रेबारी, निवासी आला की ढाणी, भैसडाकला, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती प्यारी पत्नी प्रभु जी रेबारी, निवासी आला की ढाणी, भैसडाकला, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती गणपत पत्नी आशाराम जी रेबारी, निवासी आला की ढाणी, भैसडाकला, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती भंवरी पत्नी जवाना जी रेबारी, निवासी वांसलिया की ढाणी, भैसडाकला, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती कमला पत्नी नारायण जी रेबारी, निवासी गुडली की ढाणी, भैसडाकला, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्रीमती सुगना पत्नी नरसिंग जी रेबारी, निवासी गुडली की ढाणी, भैसडाकला, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्रीमती धीना पत्नी शंकर जी रेबारी, निवासी डेडरा की ढाणी, भैसडाकला, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
9. श्रीमती सीता पत्नी अर्जुन जी रेबारी, निवासी डेडेरो की ढाणी, भैसडाकला, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
10. तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान

काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय

एवं डिकी उपखण्ड अधिकारी गिर्वा

दिनांक 10.05.2017, प्र. सं. 30/12

———/———

उपस्थित(वक्तबहस)1. श्री पुरूषोत्तम डांगी अभिभाशक अपीलान्ट

2. श्री देवीलाल जाट अभिभाषक रेस्पो॰ सं॰ 1

3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———:::———

निर्णय दिनांक

25—04—2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा देबारी में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित भूमियां कुल किता 7 रकबा 0.6600 हैक्टर भूमि स्थित है, जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 से 9 की संयुक्त खातेदारी की है, जिनका साबिक रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा था। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार है। प्रतिवादी संख्या 1 वे 4 का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होते हुए भी भूमियों में उनका नाम गलत रूप से दर्ज हो जाने से वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करते हैं। अतएवं एवं प्रतिवादी संख्या 5 से 9 को वादग्रस्त भूमियों का एक मात्र खातेदार घोषित किया जावे एवं स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 5 से 8 द्वारा स्वीकारोक्ति का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा वादी के वाद को आंशिक स्वीकार किया गया तथा विशेष कथन प्रस्तुत कर जवाबदावे अनुसार वाद डिक्री किये जाने की प्रार्थना की।

दौराने वाद कार्यवाही अपीलान्ट शिवसिंह को आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जा.दी. के तहत वाद में प्रतिवादी संख्या 11 संस्थित किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया कि उक्त भूमियों के सम्बन्ध में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 से 9 के पिता द्वारा वाद संख्या 10/83 प्रस्तुत किया गया था, जो राजीनामे अनुसार दिनांक 08–10–1996 को डिक्री किया गया। अतएवं यह वाद बार्ड बाई लॉ होने से निरस्त किया जावे।

उक्त आवेदन के खण्डन का जवाब वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को दिनांक 10–07–2017 को लोक अदालत में रखकर वादी का वाद स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 11 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 20–07–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री देवीलाल जाट उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 10 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में निर्णित किया, जबकि पक्षकारों के मध्य राजीनामा नहीं हुआ है, बल्कि अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 11 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है, जिन पर तनकियात कायम की जाकर साक्ष्य सबूत के आधार पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। अतएवं अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें 2018 डब्ल्यू.एल.एन. (SC) पेज 66, 2012 डब्ल्यू.एल.एन. (HC) पेज 380, 2018 डब्ल्यू.एल.एन. (HC) पेज 67,

आर.आर.टी. 2009 (SC) पेज 1192, आर.आर.टी. 2012 पज 1267 एवं आर.आर.टी. 2018 पेज 489 प्रस्तुत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार होना बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 10–04–2017 अनुसार प्रकरण जवाब एवं वारिसान की तलबी हेतु नियत था, किन्तु बिना जवाब लिये एवं वारिसान की तलबी हुए वादी की उपस्थिति लिखते हुए दिनांक 10–05–2017 को राजस्व लोक अदालत में वादी का वाद डिक्री कर दिया, जबकि पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा नहीं हुआ है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय एवं विधि के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 10–05–2015 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारान को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर विधि के आलोक में निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 25–06–2019 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 25–04–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

# डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

**(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)**

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ..... .....

सुरेन्द्रसिंह पिता प्रेमसिंह राठौड़, नि0 बेमला, तह0 गिर्वा हाल मकान नं.37 नाकोड़ा नगर 11, धाऊजी की बाड़ी बेड़वास, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर

बनाम

दलपतसिंह पिता मनोहरसिंह देवड़ा निवासी सिंगावतों का वाडा, देबारी तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं॰.....47 / 2018.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी..... .....गिर्वा..... मुकाम.....मुवर्खे.....18.....माह.....07..... .....2016

## दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....13....माह.....03.....सन् 2019 रूबरू..... पक्षकारान

व हाजरी..श्री ओंकारलाल डांगी..मिनजानिब अपीलान्ट व..श्री महेन्द्र मेनारिया/राजमल राव

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–07–2016 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....13.....माह.....03... .....2019 को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

## खर्चा अपील

| अपीलान्ट | रू0 | पै0 | रेस्पोन्डेन्ट | रू0 | पै0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. स्टाम्प अपील ... ..... .<br>2. स्टाम्प वकालत नामा .....<br>3. इजराय हुक्मनामा .. .....<br>4. वकील फीस बाबत .... .....<br>मीजान ..... | | | 1. स्टाम्प वकालत नामा...<br>2. स्टाम्प अर्जी ..... .....<br>3. इजराय हुक्मनामा . ....<br>4. मेहनताना वकील..... .....<br>मीजान . .... | | |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।